उत्तराखंड पी०सी०एस० अभ्यर्थी संघ

पत्रांक: 0050/CM/UKPCS. दिनांक : 31/मई/2023

तत्काल कार्यवाही हेतु अति आवश्यक पत्र: ईमेल/व्हाट्सएप आदि माध्यमो से प्रेषित।

सेवा में ,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

उत्तराखंड सरकार ।

विषय : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पुराने पैटर्न से न कराकर मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र 7 से मैथ्स हटाकर अभ्यर्थीयो के अनुरूप पाठ्यक्रम से परीक्षा कराने के बावत।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उत्तराखंड में पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए विगत वर्ष बेहद निराशाजनक रहा है ।प्रारम्भिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न को सही कराने के बावत उत्तराखंड पीसीएस अभ्यर्थियों को लगातार आयोग से न्यायालय तक के चक्कर काटने पड़े थे ।

महोदय, पीसीएस अभ्यर्थियों द्वारा राज्य गठन के समय से ही यह मांग की जा रही है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 7 से मैथ्स का पेपर हटाया जाए व परीक्षा का पैटर्न बदलाव किया जाए। जिस संदर्भ में विगत कई बार आपसे शिष्टमंडल ने मुलाकात भी की जिसमें आप ने आश्वस्त किया था की परीक्षा का पैटर्न राज्य के हित में होगा व बदलाव लाया जाएगा व जो भी बदलाव लाया जाएगा वह राज्य के अभ्यर्थियों के हित में होगा।

परन्तु समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार पुराने पैटर्न पर ही इस बार की आगामी पीसीएस परीक्षा कराने के लिए तैयारी कर रही है जिसकी प्रति संलग्न है:

उत्तराखंड में पुराने पैटर्न पर ही होगी पीसीएस की परीक्षा

राज्य लोक सेवा आयोग के पैटर्न में बदलाव के प्रस्ताव को शासन ने लौटाया

माई सिटी रिपोर्टर

देहरादून। उत्तराखंड में पीसीएस परीक्षा का पैटर्न नहीं बदलेगा। शासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के यूपीएससी पैटर्न लागू करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आगामी पीसीएस परीक्षा पुराने पैटर्न से ही होगी। बुधवार को शासन ने इस संबंध में आयोग को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट कर दी।

दरअसल, राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों एक प्रस्ताव पास किया था कि चूंकि युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा के लिए अलग और उत्तराखंड पीसीएस के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है। कई राज्यों में राज्य व केंद्रीय सेवा की परीक्षाओं के पैटर्न एक समान हैं। लिहाजा, आयोग ने भी यह प्रस्ताव शासन को भेजा था कि राज्य के युवाओं के हित में पीसीएस परीक्षा में यूपीएससी का सिविल सेवा परीक्षा पैटर्न लागू कर दिया जाए।

इस प्रस्ताव को लेकर प्रदेशभर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई थीं। कई लोगों का ये कहना था कि अगर राज्य में भी केंद्र का यूपीएससी पैटर्न लागू कर देंगे तो राज्य के युवाओं के लिए पीसीएस की राह मुश्किल हो जाएगी। यह भी मांग उठी थी कि अगर यूपीएससी पैटर्न लागू करें तो इसमें उत्तराखंड से जुड़े प्रश्न पत्र अलग रखे जाएं।

पीसीएस परीक्षा पैटर्न को लेकर आयोग और शासन के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठक भी हुई। अब शासन ने तय किया है कि फिलहाल पुराना पैटर्न ही लागू रहेगा। आगामी पीसीएस परीक्षा उसी पैटर्न पर होगी। इसमें किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया गया है। अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने इस संबंध में सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को शासनादेश भेज दिया है।

ये है पुराना पैटर्न

- **पीसीएस प्री परीक्षा** : 150 अंकों का सामान्य अध्ययन और 150 अंकों का सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा।
- **पीसीएस मुख्य परीक्षा** : सात पेपर होते हैं। पहला भाषा का 300 अंकों का पेपर, दूसरा भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति का 200 अंकों का पेपर, तीसरा भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध का 200 अंकों का पेपर, चौथा भारत एवं विश्व भूगोल का 200 अंकों का पेपर, पांचवां आर्थिक एवं सामाजिक विकास का 200 अंकों का पेपर, छठा सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का 200 अंकों का पेपर और सातवां सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र का 200 अंकों का पेपर हैं। पीसीएस परीक्षा परीक्षा में भाषा के पेपर में कम से कम 35 अंक लाने जरूरी हैं।
- **इंटरव्यू** : 200 अंकों का

यूपीएससी पैटर्न से होता नुकसान : जुगरान

भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अगर यूपीएससी पैटर्न लागू होता तो यहां के युवाओं को फायदे के बजाए नुकसान होता। हमने मुख्यमंत्री के सामने यह मसला रखा था। यूपीएससी पैटर्न के प्रस्ताव को हटाकर पुराने पैटर्न पर ही पीसीएस परीक्षा कराने के आदेश के लिए मुख्यमंत्री और शासन के अधिकारियों का आभार जताया।

उत्तराखंड में पुराने पैटर्न पर ही होगी पीसीएस परीक्षा

राज्य ब्यूरो, देहरादून : आगामी उत्तराखंड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम लागू नहीं किया जाएगा। पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है। नए पाठ्यक्रम से तैयारी के लिए परीक्षार्थियोंको पर्याप्त समय देने और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पाठ्यक्रम में संभावित संशोधन को देखते हुए इस मामले में उच्च स्तर पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परीक्षार्थियों के व्यापक हित को देखते हुए नए पाठ्यक्रम को तत्काल लागू नहीं करने पर हामी भरी। इसके बाद बुधवार को शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए।

प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार सतर्कता के साथ फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। परीक्षाओं की शुचिता को ध्यान में रखकर देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून लागू करने के बाद सरकार ने पीसीएस परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में संशोधन का निर्णय लिया था। पीसीएस परीक्षा आगामी जुलाई माह में प्रस्तावित है। यह परीक्षा अब हर वर्ष कराने की तैयारी भी है। बीती 20 मार्च को कार्मिक विभाग और राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक में पीसीएस परीक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम लागू करने पर सहमति बनी थी।

नए पाठ्यक्रम से तैयारी को मिलेगा समय : इस निर्णय से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजा गया था। यह तय किया गया कि नए पाठ्यक्रम को लागू करने से पहले परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा पाठ्यक्रम में भी बदलाव की चर्चा पर भी गौर करने पर सहमति बनी।

अन्य आयोग के पाठ्यक्रम पर भी टिकी नजरें : कार्मिक विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार यह तय किया गया कि उत्तराखंड में तैयार किए गए नए पाठ्यक्रम को भविष्य में इन तमाम स्थितियों के स्पष्ट होने पर क्रियान्वित किया जाए। इससे प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की नई व्यवस्था से परेशान न होना पड़े।

उच्चानुमोदन के बाद कार्मिक अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा कराए जाने के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव को आदेश जारी किया।

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परीक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं की परेशानी देखते हुए लिया निर्णय

नए पाठ्यक्रम में 40 प्रतिशत स्थानीय सामग्री

नए पाठ्यक्रम में उत्तराखंड से संबंधित 40 प्रतिशत विषय सामग्री तय की गई। साथ में प्रश्नपत्र बनाने का पैटर्न उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की भांति रखने का निर्णय लिया गया। प्रदेश की लोक संस्कृति, पर्व, परंपराएं, भूगोल, प्राकृतिक संपदा समेत विभिन्न विषयों से संबंधित सामग्री की हिस्सेदारी वैकल्पिक विषय के रूप में अधिक प्रस्तावित की गई, ताकि प्रदेश के परीक्षार्थियों को अधिक लाभ मिल सके।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभ्यर्थियों से विधानसभा सत्र के दौरान अपील की गई थी कि "अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है" परंतु वर्तमान परिस्थितियों में आप द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि परीक्षा पुराने पैटर्न में की जाएगी वह अभ्यर्थियों के साथ पूर्ण रूप में विश्वासघात है ।

महोदय ,

हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपीपीसीएस के सिलेबस में बदलाव लाते हुए वहां के सिलेबस को राज्य के युवाओं के हित में बहुत ही अच्छे से तैयार कराया गया है प्रति अंतिम पृष्ठ पर संगलग्न है:

यूपीपीएससी ने जारी किया पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम

तीन मार्च को आई थी पीसीएस में 173 पदों की भर्ती

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। अब मुख्य परीक्षा में विषय की अनिवार्यता खत्म हो गई है। उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश विशेष के दो प्रश्न पत्र होंगे।

अभ्यर्थियों की मांग पर ऐसा बदलाव किया गया है। इस बदलाव से मानविकी विषयों के अभ्यर्थियों को फायदा होगा। स्केलिंग की जरूरत नहीं होगी और विज्ञान वर्ग वालों को ज्यादा नंबर मिलने का विवाद भी खत्म हो गया। इस बदलाव से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी कम आएंगे, लेकिन इससे उन अभ्यर्थियों को परेशानी होगी, जो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तैयारी कर रहे हैं। उनको पीसीएस परीक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश विशेष अलग से पढ़ना होगा। यूपीपीएससी ने पीसीएस के 173 पदों पर भर्ती का विज्ञापन तीन मार्च को जारी किया था। तीन अप्रैल तक पंजीकरण और फीस जमा होगी। छह अप्रैल तक अंतिम रूप से आवेदन जमा होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी नहीं किया गया था। अब आयोग की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम जारी किया गया। मुख्य परीक्षा 23 सितंबर को संभावित है। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को आठ प्रश्न पत्र हल करने होंगे और यह 1500 अंकों का होगा। पहला प्रश्न सामान्य हिंदी और दूसरा निबंध का डेढ़-डेढ़ सौ अंकों का होगा। उसके बाद दो-दो सौ अंक के सामान्य अध्ययन के छह प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य अध्ययन के पहले प्रश्न पत्र में इतिहास, दूसरे में राजनीति शास्त्र, तीसरे में अर्थशास्त्र, भूगोल, कृषि पर्यावरण और चौथे में नीतिशास्त्र, लोक प्रशासन, शासन व्यवस्था, अभिवृत्ति से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न पत्र होंगे। इसमें सफल होने के बाद 100 अंकों का साक्षात्कार होगा।

पाठ्यक्रम में यह है नया

सामान्य अध्ययन-5

उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, वास्तुकला, अभिलेखागार, पुरातत्व।

स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में यूपी का योगदान और स्वतंत्रता सेनानियों का व्यक्तित्व।

सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, लोकनृत्य, भाषा, पर्यटन आदि।

राजव्यवस्था, लोक सेवाएं, शहरी एवं पंचायती राज, भूमि सुधार, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, योजनाएं आदि।

सामान्य अध्ययन-6

उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, निवेश को प्रोत्साहित आदि।

लोक कल्याणकारी योजनाएं, आर्थिक सुधार, नवीकरणीय योजना, जनगणना।

कृषि का व्यवसायीकरण एवं फसलों का उत्पादन, कृषि की समस्याएं, मत्स्य, उद्यान, सिंचाई, बागवानी आदि

भौगोलिक स्थितियां, प्राकृतिक संसाधन, वन्यजीव अभ्यारण्य, परिवहन, पर्यावरण, प्रदूषण, विज्ञान एवं तकनीकी आदि।

उक्त सिलिब्स से विशेषकर उत्तर प्रदेश के युवाओं को राज्य की सिविल सेवा की परीक्षा देने में प्रत्यक्ष तौर पर बहुत लाभ मिल रहा है । बतौर युवा मुख्यमंत्री हम आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आप भी उत्तराखंड पीसीएस के राज्य के अंदर के अभ्यर्थियों का हित देखते हुए आगामी पीसीएस की परीक्षा के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही सिलेबस में बदलाव लाकर तत्काल आगामी परीक्षा से ही लागू करवाएंगे।

मुख्य परीक्षा पेपर से गणित हटाने व राज्य विशेष का प्रश्नपत्र लाने कि अभ्यर्थियों की मांग के पीछे कारण:

1.राज्य में ASER, निजी संस्थाओं व राज्य/केंद्र की एजेंसियों द्वारा की गई विभिन्न सर्वे व रिपोर्टों में सामने आया है कि पहाड़ी क्षेत्र/मैदानी क्षेत्र में उत्तराखंड के तमाम इलाकों में दसवीं के बाद मैथ्स का ड्रॉपआउट RATIO बहुत ज्यादा है । विशेषकर महिलाओं में मैथ्स बैकग्राउंड का ड्रॉपआउट 10वी के बाद सबसे अधिक है दसवीं के बाद ज्यादातर महिलाएं छात्र/ मध्यम व निम्न वर्ग के छात्र आर्ट्स साइड में जाते हैं । अतः लगभग हर साल 100% में से 60% बच्चे आर्ट बैकग्राउंड को अपनाते हैं ,जो वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी संख्या हो चुकी है। अतः आपसे निवेदन है कि पेपर 7th गणित होना इंजीनियरिंग व 12वीं से आगे मैथ्स रखने वाले बच्चों को एक विशेष तोहफा देने वह बाहरी राज्यों के लिए उत्तराखंड पीसीएस के रास्ते खोलने व राज्य के अंदर के बच्चों के लिए उत्तराखंड पीसीएस में चयन रोकने का एक जरिया बन चुका है व आयोग के निति वाक्य मे वर्णित "निष्पक्षता" का प्रत्यक्ष हनन हैं । अतः पेपर 7th से मैथ्स को तत्काल हटाया जाए ।

2. उत्तराखंड के अलावा किसी भी राज्य सिविल सेवा की परीक्षा अथवा केंद्र की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भी मेंस में गणित विषय नहीं है आता उत्तराखंड में भी पेपर 7 से मैक्स को तत्काल हटाया जाए ।

3. उत्तराखंड अथवा यूपीएससी अथवा किसी भी राज्य सिविल सेवा की परीक्षा वर्तमान में 3 चरणों में कराई जाती है:

UPKPSC PCS परीक्षा में तीन प्रमुख चरण शामिल हैं:

प्रारंभिक परीक्षा [वस्तुनिष्ठ प्रकार और बहुविकल्पी : व्यक्ति की ऑब्जेक्टिविटी चेक करने हेतु]

मुख्य परीक्षा [पारंपरिक प्रकार, लिखित परीक्षा: व्यक्ति की लेखन शैली व बुद्धिमत्ता की परख हेतु]

साक्षात्कार [व्यक्तित्व परीक्षण हेतु]

महोदय ,जब व्यक्ति की ऑब्जेक्टिविटी अथवा गणित की क्षमता पूर्व में ही प्रारंभिक परीक्षा में जांच की जा चुकी है वह मुख्य परीक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की लेखन शैली प्रसाद हैंडलिंग आदि विभिन्न गुणों की जांच हेतु की ली जाती है परंतु जब पूर्व में ही वस्तुनिष्ठता वह ऑब्जेक्टिविटी चेक की जा चुकी है तो मुख्य परीक्षा में पुनः मैथ्स डालकर परीक्षा का सार ही खत्म होता नजर आ रहा है अतः इस परीक्षा से तत्काल मैथ्स पेपर 7 से हटाया जाए ।

4. इसके अतिरिक्त राज्य में उत्तराखंड पीसीएस के विगत सभी परिणामों को आप उठाकर देख लीजिए उन सभी में आर्ट्स बैकग्राउंड से आने वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन बिल्कुल नगण्य है लगभग 95 फ़ीसदी अभ्यर्थी या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या गणित बैकग्राउंड से कहि न कही सम्बद्ध रहे हैं।

5.महोदय जहां एक और विशेषज्ञ व अभ्यर्थी प्रिलिम्स परीक्षा में भी सीसेट को पूर्ण रूप से हटाने की मांग कर रहे हैं व पूरे देश भर के विभिन्न शिक्षाविद इस बाबत मांग उठा रहे हैं ।तो उत्तराखंड में मुख्य परीक्षा में भी गणित को पूर्ण रूप से शामिल कर लेना किसी भी रुप में राज्य राज्य के ग्रामीण पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों महिलाओं व कला बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के साथ प्रत्यक्ष तौर पर अन्याय होगा।

संलग्न सीसैट पर विशेषज्ञों की राय :

समान अवसर की राह में रोड़ा सीसैट

डा. विजय अग्रवाल

यदि इस देश की सिविल सेवा को समावेशी बनाना है तो सीसैट से जुड़ी समस्याओं का समाधान अनिवार्य है

सीसैट से संबंधित आपत्तियों पर विचार करे यूपीएससी। फाइल

सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2011 में अपने जन्म से ही घोर विवादों से घिरा रहा है, जिसे संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) 'सामान्य ज्ञान द्वितीय' कहना पसंद करता है। हालांकि इस दौरान इसमें दो बदलाव किए गए हैं। आरंभ में इसके प्राप्तांक कुल प्राप्तांकों में जुड़ते थे, लेकिन 2015 से इसे 33 प्रतिशत न्यूनतम स्कोर के साथ केवल क्वालिफाइंग पेपर कर दिया गया। दूसरा यह कि इसके 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भाषा ज्ञान के नाम पर जो सात-आठ प्रश्न अंग्रेजी भाषा पर पूछे जाते थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया, लेकिन क्या इन दो सुधारों के बाद बात बन गई? नहीं। इस नए पेपर ने कुछ ऐसा कर दिया है कि कुल प्रशासकों के लगभग तीन-चौथाई पद विज्ञान के तथा लगभग आधे पद इंजीनियर्स के लिए सुरक्षित हो गए हैं। यदि इस देश की सिविल सेवा को समावेशी बनाना है तो इस पेपर से जुड़ी समस्याओं का समाधान अनिवार्य है। फिलहाल सीसैट का पेपर पूरी तरह विज्ञान एवं अंग्रेजी वालों के पक्ष में है। इसलिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा माध्यम वाले युवा मुख्य परीक्षा में पहुंच ही नहीं पाते। आंकड़े भी इसे सही साबित कर रहे हैं। 2010 में मुख्य परीक्षा में पहुंचने वाले कुल 11,859 प्रतियोगियों में हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी लगभग 4,200 थे। यह संख्या सीसैट के लागू होते ही 2011 में गिरकर कुल 11,230 में से 1,682 रह गई। यह संख्या गिरते-गिरते पिछले साल कुल 11,467 में मात्र 571 हो गई। प्रश्न उठता है कि यदि इस गिरावट के लिए सीसैट जिम्मेदार नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कारणों की तलाश की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि ये आंकड़े आयोग के 'सेम प्लेइंग फील्ड' के समानतामूलक अनिवार्य सिद्धांत की धज्जियां उड़ाते मालूम पड़ रहे हैं।

हालांकि सीसैट तथा सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्रों में पूछे जाने वाले सवालों के स्तर के बारे में आयोग कहता है कि 'उनका उत्तर देने की अपेक्षा एक सामान्य पढ़े-लिखे व्यक्ति से की जाती है', लेकिन जब आप सीसैट के प्रश्नों को पढ़ेंगे तो वे बाउंसर बाल की तरह लगेंगे। हिंदी भाषा का अनुवाद इतना मशीनी और भ्रष्ट होता है कि हिंदी के अच्छे-अच्छे जानकारों को पसीना आ जाए। ऐसी स्थिति में क्वालिफाइंग 33 प्रतिशत स्कोर करना नाकों चने चबाना हो जाता है। ऐसे में यही निष्कर्ष निकल रहा है कि यह पेपर इंजीनियर्स (गणित) के पक्ष में है। कई ऐसे युवा हैं, जो सामान्य अध्ययन प्रथम में 72 प्रतिशत अंक लेकर आए, लेकिन सीसैट में 31 प्रतिशत पर रुक गए। ऐसे युवा सैकड़ों नहीं, कई हजारों में होते हैं, जो प्रथम प्रश्न-पत्र में कट आफ मार्क्स से 15-15 प्रतिशत अधिक होने के बावजूद मुख्य परीक्षा तक नहीं पहुंच पाते। जबकि ज्ञान का सही परीक्षण करने वाला पेपर यही होता है। न्यूनतम 33 प्रतिशत का स्कोर ही गलत मालूम पड़ता है। पिछले वर्ष अनुसूचित जाति के लिए प्रथम पेपर का कट आफ 34.36 प्रतिशत था। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए यह इससे थोड़ा अधिक 38.76 प्रतिशत रहा। क्या इसके साथ सीसैट के क्वालिफाइंग मार्क्स 33 प्रतिशत का कोई तालमेल है? दिव्यांगों के लिए प्रथम प्रश्न-पत्र का कट आफ मार्क्स 20.41 प्रतिशत रहा। क्या इनके लिए भी सीसैट का न्यूनतम 33 प्रतिशत रखना न्यायपूर्ण मालूम पड़ता है? मुख्य परीक्षा में सामान्य अंग्रेजी के क्वालिफाइंग मार्क्स 25 प्रतिशत और सामान्य भाषा के लिए 30 प्रतिशत है। इनमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सीसैट में निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद यह 33 प्रतिशत है। क्यों? मुख्य परीक्षा के निबंध, सामान्य अध्ययन के चार और वैकल्पिक विषयों के दो प्रश्न-पत्रों में न्यूनतम पासिंग मार्क्स 10 प्रतिशत रखे गए हैं, जबकि सीसैट में यह 33 प्रतिशत है। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न-पत्र का 2016 में कट आफ 58 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष घटकर 46.26 प्रतिशत हो गया। यह 12 प्रतिशत की गिरावट है, लेकिन तब भी प्रतियोगी सफल हुए। जाहिर है न्यूनतम प्राप्तांक प्रश्नों की प्रकृति पर निर्भर होता है। सीसैट में इस तरह के लचीलेपन की कोई गुंजाइश नहीं। सामान्यतया स्कूलों-कालेजों में पासिंग मार्क्स 33 प्रतिशत ही होते हैं, लेकिन उनका बहुत निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती।

सीसैट गैर अंग्रेजीभाषी युवाओं के मन में जिस तरह आक्रोश का भाव पैदा कर रहा है, उसे देखते हुए इस पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है। इसके लिए कुछ सुझाव हैं। पहला, क्वालिफाइंग मार्क्स को वर्तमान 33 प्रतिशत से घटाकर अधिकतम 25 प्रतिशत तक किया जाए, ताकि अन्य विषयों के अच्छे प्रतियोगियों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सके। दूसरा, प्रश्नों के स्तर को सामान्य किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा, हिंदी-अनुवाद से संबद्ध है। इस भाषा को गूगल से मुक्त कराकर समझने लायक बनाया जाए। चौथा, हो सके तो इस पेपर को ही समाप्त कर दिया जाए। यदि इसे आवश्यक समझा ही जाता है तो इस तरह के कुछ प्रश्नों को सामान्य ज्ञान प्रथम के प्रश्न-पत्र में रखा जा सकता है। यह व्यवस्था पहले भी थी। इसके परीक्षण के लिए मुख्य परीक्षा का भी उपयोग किया जा सकता है। पहले मुख्य परीक्षा के सामान्य ज्ञान द्वितीय प्रश्न-पत्र के 300 अंकों में 60 अंक इसी से संबद्ध होते थे। इनके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में ही सामान्य ज्ञान के द्वितीय पेपर में अन्य विषयों से संबंधित प्रश्नों को शामिल करते हुए कुछ प्रश्न सीसैट के भी रखे जा सकते हैं। अब जब सीसैट पर आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है तब यूपीएससी को समझना होगा कि मौजूदा व्यवस्था समान अवसर की राह में बाधक बन रही है।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं)
response@jagran.com

अतः महोदय आपसे निवेदन है कि राज्य हित में वह अपने पूर्व में दिए गए अभ्यर्थियों के आश्वासन के अनुरूप तत्काल सिलेबस चेंज करने हेतु आदेश देने की कृपा करें व नवीन पाठ्यक्रम से मैथ्स हटाए जाने व संशोधित पाठ्यक्रम में उत्तराखंड विशेष का प्रश्न पत्र जोड़े जाने संबंधी आदेश तत्काल जारी करने की कृपा करें । विद्यार्थी निरंतर आंदोलन कर कर परेशान हो चुके हैं वह लगातार आंदोलनों से विद्यार्थियों की पढ़ाई निरंतर बाधित हो रही है।

राज्य में विद्यार्थियों के व अभ्यर्थियों के हित में आपसे हम यही निवेदन करते हैं कि तत्काल आदेश जारी कर विद्यार्थियों की इस गंभीर समस्या का निराकरण करने की कृपा करें ,जिससे अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके व पुनः अभ्यर्थियों को 9 फरवरी के जैसे सड़कों पर ना उतरना पड़े ।

अगर आगामी परीक्षा में पाठ्यक्रम चेंज नहीं होता तो यह राज्य के युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा होगा वह सड़कों पर उतरना अभ्यर्थियों की मजबूरी होगी ।

अतः आपसे निवेदन है कि तत्काल संज्ञान लेते हुए इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ।

प्रतिलिपि :

1. माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को तत्काल संज्ञान लेने के बावत प्रेषित।
2. माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के बावत प्रेषित।
4. माननीय राज्यपाल उत्तराखंड शासन तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के बावत प्रेषित।
5. माननीय अध्यक्ष विधानसभा को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के बावत प्रेषित।
6. माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित ।
7. समस्त विधायक एवं सांसद उत्तराखंड /सांसद को उक्त विषय पर माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाबत सूचनार्थ प्रेषित।
8. उत्तराखंड बेरोजगार संघ को बेरोजगार अभ्यर्थियो के हितार्थ आवाज उठाने के बावत।

संलग्न:

1. हाल ही में जारी हुआ उत्तराखंड पीसीएस का नवीन पाठ्यक्रम

2.अभ्यर्थियों द्वारा विचार एवं गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया उत्तराखंड पीसीएस

Piyush
पीयूष जोशी

भवदीय

अध्यक्ष

उत्तराखंड पीसीएस अभ्यर्थी संघ

एवं समस्त अभ्यर्थी उत्तराखंड पीसीएस

Mob: 8909039409

उत्तराखंड पीसीएस द्वारा हाल ही में जारी किया गया मुख्य परीक्षा का नवीन पाठ्यक्रम:

सामान्य अध्ययन– I

1. भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला–रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे।
2. आधुनिक भारतीय इतिहास (1757 ई0 से 1947 ई0 तक)– महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि।
3. स्वतंत्रता संग्राम– इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति/उनका योगदान।
4. स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन (1965 ई0 तक)।
5. विश्व के इतिहास में 18 वीं सदी से बीसवीं सदी के मध्य तक की घटनाएं जैसे फ्रांसीसी क्रान्ति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगें।
6. भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं।
7. महिला– समाज और महिला–संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा सम्बद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान।
8. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थ व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव।
9. सामाजिक सशक्तीकरण, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।
10. विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण– जल,मिट्टियों एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में (भारत के विशेष संदर्भ में)।
11. भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं– भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएँ, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन एवं हिम सरिताएं।
12. भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता।
13. मानव प्रवास– विश्व की शरणार्थी समस्या– भारत– उपमहाद्वीप के संदर्भ में।
14. सीमान्त तथा सीमांए– भारत उप– महाद्वीप के संदर्भ में।
15. जनसंख्या एवं अधिवास– प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण,स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम।

सामान्य अध्ययन– II

1. भारतीय संविधान– ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका।
2. संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।
3. केन्द्र–राज्य वित्तीय सम्बन्धों में वित्त आयोग की भूमिका।
4. शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रो का उदय एवं उनका प्रयोग।
5. भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना।
6. संसद और राज्य विधायिका– संरचना, कार्य, कार्य–संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय।
7. कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य– सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनहित याचिका (पी0आई0एल0)।
8. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
9. विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व।
10. सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध–न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत– उनकी विशेषताएं एवं कार्यभाग।
11. सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के मुद्दे एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0)।
12. विकास प्रक्रियाएं–गैर सरकारी सगंठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य अंशधारक।
13. केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य– निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
14. स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय।
15. गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ।
16. शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई–गवर्नेंस–अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय।
17. लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका।
18. भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध।
19. द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।
20. भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।
21. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच– उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्य भाग।
22. क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम।

सामान्य अध्ययन– III

1. भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ, नीति (एन0आई0टी0आई0) आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0)।
2. गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास।
3. सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली।
4. प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई–तकनीकी।
5. अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली–उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढ़ीकरण खाद्य सुरक्षा एवं बफर भण्डार, कृषि में तकनीकी अभियान।
6. भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग–कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, उर्ध्व व अधोप्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
7. भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार।
8. भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव।
9. आधारभूत संरचनाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि।
10. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी–विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में, भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग।
11. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण, द्विअनुप्रयोगी एवं तकनीकि उपयोगी प्रौद्योगिकियाँ।
12. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंम्प्यूटर, ऊर्जा स्त्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से सम्बन्धित मुद्दे।
13. पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आंकलन।
14. आपदाः गैर–पारम्परिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में, आपदा शमन एवं प्रबन्धन।
15. अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँः आणुविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तन्त्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लाउन्डरिंग तथा मानव तस्करी।
16. भारत की आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियाः आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत तथा संगठित अपराध।
17. सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन।
18. कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे।

सामान्य अध्ययन– IV

1. **नीतिशास्त्र तथा मानवीय अन्तः** सम्बन्ध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सारतत्व, इसके निर्धारक और परिणाम : नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र।

मानवीय मूल्य–महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।

2. **अभिवृत्तिः** अंर्तवस्तु (कंटेन्ट), संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरूचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना।
3. सिविल सेवा के लिए अभिरूचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर– तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करूणा।
4. **संवेगात्मक बुद्धिः** अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग।
5. भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान।
6. **लोक प्रशासनों में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र :** स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्त्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतर्रात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था (फंडिग) में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था।
7. **शासन व्यवस्था में ईमानदारीः** लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान–प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक–निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां।
8. उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)।

सामान्य अध्ययन– V

1. उ0प्र0 का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर।
2. उ0प्र0 की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रख–रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व।
3. भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उ०प्र० का योगदान।
4. उ0प्र0 के सुविख्यात स्वतन्त्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व।
5. उ0प्र0 में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्देः सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा एवं साहित्य/बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन।
6. उ0प्र0 की राजव्यवस्था–शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधान सभा एवं विधान परिषद, केन्द्र–राज्य सम्बन्ध।
7. उ0प्र0 में लोक सेवाएँ, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र।
8. उ0प्र0–विशेष राज्य चयन मानदण्ड, राजभाषा, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग।
9. उ0प्र0 में स्थानीय स्वशासनः शहरी एवं पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार सम्बन्धी मुद्दे।
10. उ0प्र0–सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई–गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना।
11. उ0प्र0 में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव।
12.. उ0प्र0 में सुरक्षा से जुड़े मुद्देः–

(i) उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच सम्बन्ध।

(ii) बाह्य, राज्य एवं अन्तर राज्यीय सक्रियकों से आन्तरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ पैदा करने में संचार

नेटवर्कों, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका।
(iii) साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, कालेधन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम।
(iv) विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ और उनके शासनादेश / अधिकार–पत्र।
(v) सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबन्धन, संगठित अपराधों का आंतकवाद से संबंध।
13. उ0प्र0 में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा।
14. उ0प्र0 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे।
15. उ0प्र0 में शिक्षा प्रणाली।
16. भारत के विकास में उ०प्र० की भूमिका।
17. उ0प्र0 की समसामयिक घटनाएं।
18. जल शक्ति मिशन एवं अन्य केन्द्रीय योजनायें एवं उनका क्रियान्वयन।
19. उ0प्र0 में गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.): मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव।
20. उ0प्र0 में पर्यटनः मुद्दे एवं सम्भावनायें।
21. उ0प्र0 में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारः इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव।

सामान्य अध्ययन – VI

1. उ0प्र0 का आर्थिक परिदृश्य : अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढाँचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्त्व।
2. उ0प्र0 का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग।
3. उ0प्र0 सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएँ, परियोजनाएँ एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास।
4. उ0प्र0 में निवेशः मुद्दे एवं प्रभाव।
5. उ0प्र0 की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति।
6. उ0प्र0 में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर–नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबन्धन।
7. उ0प्र0 की जनांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना।
8. उ0प्र0 में कृषि का व्यावसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन।
9. उ0प्र0 की नवीन वानिकी नीति।
10. उ0प्र0 की कृषि एवं सामाजिक वानिकी।
11. उ0प्र0 में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएँ एवं उनका समाधान।
12. उ0प्र0 के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक।
13. उ0प्र0 का भूगोल– भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति।
14. उ0प्र0 में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य।
15. उ0प्र0 में परिवहन तंत्र।
16. उ0प्र0 में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना।
17. उ0प्र0 में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इनके कार्य।
18. उ0प्र0 के प्राकृतिक संसाधन मृदा, जल, वायु, वन, घास–मैदान, आद्रभूमि।
19. उ0प्र0 के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से सम्बन्धित मुद्दे।
20. उ0प्र0 के सन्दर्भ में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र–संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव–जन्तु एवं वनस्पतियां।
21. उ0प्र0 में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न।
22. उ0प्र0 में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन तथा उ०प्र० के विकास में इनका प्रभाव।
23. उ0प्र0 के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

इस संदर्भ में आपको सादर अवगत कराना चाहेंगे कि अभ्यर्थियों द्वारा सम्यक विचार उपरांत वह सभी राज्यों के राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा व प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को एनालाइज करने के बाद उत्तराखंड हेतु निम्न वत सिलेबस रखने की मांग आप से की जाती है जिसे इसी आगामी परीक्षा से लागू करने की कृपा करें :

UKPSC PCS EXPECTED SYLLABUS :

UKPSC PCS परीक्षा में तीन प्रमुख चरण शामिल हैं:

1.प्रारंभिक परीक्षा [वस्तुनिष्ठ प्रकार और बहुविकल्पी]

2.मुख्य परीक्षा [पारंपरिक प्रकार, लिखित परीक्षा]

3. साक्षात्कार [व्यक्तित्व परीक्षण]

UKPSC PCS Prelims Exam Pattern:

प्रारंभिक परीक्षा तीन चरणों की चयन प्रक्रिया का पहला दौर है। यूकेपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए सीमित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित की जाती है। इस चरण में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही अगले चरण (मुख्य परीक्षा) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए।

UKPSC PCS की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के दो अनिवार्य पेपर हो :

(i) सामान्य अध्ययन पेपर-I और (ii) सामान्य अध्ययन पेपर-II।

#नोट: पेपर-II एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें न्यूनतम अर्हक अंक 33% निर्धारित हैं। मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए पेपर-II में प्राप्त अंकों की गणना नहीं की जाती है।

Paper	Ques.	Marks	Duration
सामान्य अध्ययन -I	150	200	120 min
सामान्य अध्ययन -II	100	200	120 min

#नोट: महत्वपूर्ण बिंदु

प्रीलिम्स के दोनों पेपर 200 अंको के वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

प्रत्येक पेपर दो घंटे (120 मिनट) की अवधि का होता है।

दोनों पेपर में चिह्नित किए गए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की नकारात्मक अंकन है।

जैसे, यदि किसी प्रश्न के लिए आवंटित अधिकतम अंक 2 है, तो प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 0.66 अंक काट लिया जाए।

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा का पेपर-II एक अर्हक पेपर होगा जिसमें न्यूनतम योग्यता अंक 33% निर्धारित हैं।

मूल्यांकन के उद्देश्य से उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में उपस्थित होना अनिवार्य है। इसलिए एक उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह दोनों पेपरों में उपस्थित नहीं होता है।

#नोट: प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए सीमित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम परिणाम (मेरिट सूची) में शामिल नहीं किया जाएगा।

UKPSC PCS Mains Exam Pattern

मेन्स परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा के दूसरे चरण का गठन करती है। प्रारंभिक परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद ही उम्मीदवारों को यूकेपीएससी पीसीएस मेन्स लिखने की अनुमति दी जाएगी।

यूकेपीएससी मेन्स परीक्षा में वर्णनात्मक प्रकार के 8 पेपर हो :

S No	Subject.	Marks	Duration
Paper 1	सामान्य हिंदी	150	3 घण्टे
Paper 2	निबन्ध	150	3 घण्टे
Paper 3	सामान्य अध्ययन I	200	3 घण्टे
Paper 4	सामान्य अध्ययन I.	200.	3 घण्टे
Paper 5	सामान्य अध्ययन III.	200.	3 घण्टे
Paper 6	सामान्य अध्ययन IV	200.	3 घण्टे
Paper 7	सामान्य अध्ययन V (उत्तराखंड स्पेशल).	200	3 घण्टे
Paper 8	सामान्य अध्ययन VI (उत्तराखंड स्पेशल)	200	3 घण्टे

#नोट: महत्वपूर्ण बिंदु

मुख्य प्रत्येक पेपर के लिए परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। यूकेपीएससी मेन्स परीक्षा कुल 1500 अंकों की होगी।

सभी आठ पेपर स्कोरिंग प्रकृति के हैं, उनके अंक अंतिम मेरिट सूची में शामिल किए जाएंगे।

एक उम्मीदवार को सामान्य हिंदी के अनिवार्य पेपर में एक न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि सरकार या आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

UKPSC PCS Interview Pattern

UKPSC PCS परीक्षा के अंतिम चरण यानी साक्षात्कार खंड का 100 अंकों का वेटेज हो।

उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने उम्मीदवार के परिचयवृत का अभिलेख होगा।

यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं।

यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और तर्क संगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी को जांचने के अभिप्रायः से की जाती है।

UKPSC PCS Detailed Syllabus

इस खंड में, उम्मीदवार UKPSC PCS (प्रीलिम्स एंड मेन्स) लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम की जांच कर सकते हैं।

जैसा कि हमने पहले बताया है UKPSC PCS परीक्षा में प्रमुख रूप से तीन चरण शामिल हैं:

(i) प्रारंभिक परीक्षा, (ii) मुख्य परीक्षा, (iii) साक्षात्कार।

UKPSC PCS Prelims Exam Syllabus

प्रश्न पत्र I (200 अंक) अवधि : दो घंटे

– राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें

– भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन

– भारत एवं विश्व का भूगोल- भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल

– भारतीय राजनीति एवं शासन- संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारिक मुद्दे (राइट्स इश्यूज) आदि

– आर्थिक एवं सामाजिक विकास सतत विकास, गरीबी, अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव आदि परिवर्तन इस विषय में

– पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है

– सामान्य विज्ञान

(1) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनायें: राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी।

(2) भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनः इतिहास के अन्तर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है।

(3) भारत एवं विश्व का भूगोलः भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोलः विश्व भूगोल में – विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।

(4) भारतीय राजनीति एवं शासन- संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण आदि: भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अन्तर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे।

(5) आर्थिक एवं सामाजिक विकास सतत विकास, गरीबी अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव आदि: अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा।

(6) पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सम्बन्धी सामान्य विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तनः इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है।

(7) सामान्य विज्ञानः सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है।

#नोटः अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तराखंड के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो।

प्रश्न पत्र II (200 अंक) अवधि: दो घंटे

– कॉम्प्रिहेंशन

– अन्तर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें सम्प्रेषण कौशल भी समाहित होगा।

– तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता

– निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान।

– सामान्य बौद्धिक योग्यता।

– प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित व सांख्यिकी।

– सामान्य अंग्रेजी हाईस्कूल स्तर तक। सामान्य हिन्दी हाईस्कूल स्तर तक

प्रारम्भिक गणित (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय:

1. अंकगणित:

(1) संख्या पद्धतिः प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय- अपरिमेय एवं वास्तविक संख्यायें, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्यायें पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य तथा उनमें सम्बन्ध।

(2) औसत

(3) अनुपात एवं समानुपात

(4) प्रतिशत

(5) लाभ-हानि

(6) ब्याज- साधारण एवं चक्रवृद्धि (7) काम तथा समय

(8) चाल, समय तथा दूरी

2. बीजगणित

(1) बहुपद के गुणनखण्ड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य एवं उनमें सम्बन्ध, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण

(2) समुच्चय सिद्धान्तः समुच्चय, उप समुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय समुच्चयों के बीच संक्रियायें (संघ, प्रतिछेद, अन्तर समिमित अन्तर), बेन-आरेख

3. रेखागणित:

(1) त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलम्ब चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना एवं उनके गुण सम्बन्धी प्रमेय तथा परिमाप एवं उनके क्षेत्रफल,

(2) गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु तथा धन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल।

4. सांख्यिकी:

आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों का वर्गीकरण, बारम्बारता बारम्बारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारम्बारता आंकड़ों का निरूपण, दण्डचार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारम्बारता बहुभुज, संचयी बारम्बारता वक्र, केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप- समान्तर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक

General English (UpTo Class X Level)

1. Comprehension

2. Active Voice and Passive Voice

3. Parts of Speech

4. Transformation of Sentences

5. Direct and Indirect Speech

6. Punctuation and Spellings

7. Words meanings

8. Vocabulary & Usage

9. Idioms and Phrases

10. Fill in the Blanks

सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर तक)

(1) हिन्दी वर्णमाला विराम चिन्ह

(2) शब्द रचना, वाक्य रचना अर्थ

(3) शब्द रूप

(4) संधि, समास

(5) क्रियायें

(6) अनेकार्थी शब्द

(7) विलोम शब्द

(8) पर्यायवाची शब्द

(9) मुहावरे एवं लोकोक्तियां

(10) तत्सम एवं तद्भव, देशज, विदेशी (शब्द भंडार)

(11) वर्तनी

(12) अर्थबोध

(13) हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ

(14)उत्तराखंड की मुख्य बोलियाँ

UKPSC PCS Mains Exam Syllabus

प्रश्न पत्र I (150 अंक) अवधि : तीन घंटे

सामान्य हिन्दी

दिये हुए गद्य खण्ड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर।

संक्षेपण।

सरकारी एवं अर्धसरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र

शब्द ज्ञान एवं प्रयोग

उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग,

विलोम शब्द,

वाक्यांश के लिए एक शब्द

वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि

लोकोक्ति एवं मुहावरे।

प्रश्न पत्र II (150 अंक) अवधि : तीन घंटे निबन्ध

निबन्ध हिन्दी, अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिखे जा सकते हैं। निबन्ध के प्रश्न पत्र में 3 खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड से एक-एक विषय पर 700 (सात सौ) शब्दों में निबन्ध लिखना होगा।

प्रत्येक खण्ड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खण्डों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबन्ध के प्रश्न होंगे।

खण्ड (क)

1. साहित्य और संस्कृति
2. सामाजिक क्षेत्र
3. राजनैतिक क्षेत्र

खण्ड (ख)

1. विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी
2. आर्थिक क्षेत्र
3. कृषि उद्योग एवं व्यापार

खण्ड (ग)

1. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
2. प्राकृतिक आपदाएं भू-स्खलन भूकम्प, बाढ़, सूखा, आदि
3. राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं

प्रश्न पत्र III (200 अंक) अवधि : तीन घंटे

. सामान्य अध्ययन-I

1. भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे।

2. आधुनिक भारतीय इतिहास (1757 ई0 से 1947 ई0 तक) महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याए इत्यादि।

3. स्वतंत्रता संग्राम- इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति / उनका योगदान।

4. स्वतंत्रता के पश्चात् देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन (1965 ई0 तक)।

5. विश्व के इतिहास में 18 वीं सदी से बीसवीं सदी के मध्य तक की घटनाएं जैसे फ्रांसीसी क्रान्ति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध राष्ट्रीय सीमाओं का पुन सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद इत्यादि के रूप और समाज पर उनके प्रभाव इत्यादि शामिल होंगे।

6. भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताए।

7. महिलाओं की समाज और महिला संगठनों में भूमिका, जनसंख्या तथा सम्बद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय

8. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय और उनका भारतीय समाज के अर्थ व्यवस्था, राज्यव्यवस्था और समाज संरचना पर प्रभाव।

9. सामाजिक सशक्तीकरण, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।

10. विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण- जल, मिट्टियाँ एवं वन दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में (भारत के विशेष संदर्भ में)।

11. भौतिक भूगोल की प्रमुख विशिष्टताएं- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएँ, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, पवन एवं हिम सरिताएं।

12. भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता

13. मानव प्रवास विश्व की शरणार्थी समस्या- भारत- उपमहाद्वीप के संदर्भ में

14. सीमान्त तथा सीमाए- भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में

15 जनसंख्या एवं अधिवास प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम।

प्रश्न पत्र IV (200 अंक) अवधि : तीन घंटे

सामान्य अध्ययन-II

1. भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका

2 संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतिया, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां

3. केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों में वित्त आयोग की भूमिका

4. शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं उनका प्रयोग

5. भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना

6. संसद और राज्य विधायिका संरचना कार्य कार्य संचालन, शक्तियों एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय

7. कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक / अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनहित वाद (पी0आई0एल०)।

8. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।

9. विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियों कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व

10 सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एव कार्यभाग

11. सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई०सी०टी०)।

12. विकास प्रक्रियाएं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह विभिन्न समूह एवं संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं संस्थागत एवं अन्य अशधारक।

13, केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय

14. स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र / सेवाओं के विकास एवं 15. गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनैतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ प्रबंधन से संबंधित विषय।

16. शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताए, सीमाएं और संभावनाएं नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय।

17. लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका

18. भारत एवं अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध।

19. द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और / अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

20. भारत के हितों एवं अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

21. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच- उनकी संरचना अधिदेश तथा उनका कार्य भाग |

22. क्षेत्रीय प्रान्तीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम

प्रश्न पत्र V (200 अंक) अवधि : तीन घंटे

सामान्य अध्ययन- III

1. भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियों, नीति (एन०आई०टी०आई०) आयोग की भूमिका

2. गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी संवृद्धि।

3. सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली।

4. प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई-तकनीकी

5. अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि सहायकी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली – उद्देश्य क्रियान्वयन, परिसीमाएं, सुदृढीकरण खाद्य सुरक्षा एवं बफर भण्डार, कृषि सम्बन्धित तकनीकी अभियान टेक्नालाजी मिशन

6. भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, उर्ध्व व अधोप्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।

7. भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् भूमि सुधार।

8. भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक संवृद्धि पर प्रभाव।

9. आधारभूत संरचनाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन तथा रेलवे आदि।

10. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग (दैनिक जीवन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति)।

11. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां प्रौद्योगिकी का देशजीकरण नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण, द्विअनुप्रयोगी एवं क्रान्तिक अनुप्रयोग प्रौद्योगिकियाँ।

12. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंम्प्यूटर, ऊर्जा स्त्रोतों, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता बौद्धिक सम्पदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से सम्बन्धित मुद्दे।

13. पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीवन संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आंकलन

14. आपदाः गैर-पारम्परिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में, आपदा उपशमन एवं प्रबन्धन।

15. अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाः आणुविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तन्त्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक तन्त्रीयता, साइबर सुरक्षा के आधार मनी लाउन्डरिंग तथा मानव तस्करी।

16. भारत की आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियां आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रतिविद्रोह तथा संगठित अपराध।

17. सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन ।

18. कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन के मुद्दे।

प्रश्न पत्र VI (200 अंक) अवधि : तीन घंटे

सामान्य अध्ययन- IV

1) नीतिशास्त्र तथा मानवीय अन्तः सम्बन्ध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सारतत्व, इसके निर्धारक और परिणाम नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र मानवीय मूल्य-महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका।

2) अभिवृत्तिः अंर्तवस्तु (कंटेन्ट), संरचना, कार्य, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरूचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना।

3) सिविल सेवा के लिए अभिरूचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा गैर- तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा करूणा

4) संवेगात्मक बुद्धिः अवधारणाएं तथा आयाम, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग।

5) भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान

6) लोक प्रशासनों में लोक / सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्रः स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्त्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन तथा अंतर्रात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था (फंडिंग) में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था।

7) शासन व्यवस्था में ईमानदारी: लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान-प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र कार्य संस्कृति सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां ।

8) उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन (केस स्टडी)।

प्रश्न पत्र VII (200 अंक) अवधि : तीन घंटे

सामान्य अध्ययन- V (उत्तराखंड स्पेशल)

1.उत्तराखंड का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर।

2.उत्तराखंड की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रख-रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व।

3. भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तराखंड का योगदान।

4.उत्तराखंड के सुविख्यात स्वतन्त्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व।

5.उत्तराखंड में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे: सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा एवं साहित्य / बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन।

6.उत्तराखंड की राजव्यवस्था – शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधान सभा एवं विधान परिषद, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध |

7.उत्तराखंड में लोक सेवाएँ, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र।

8.उत्तराखंड – विशेष राज्य चयन मानदण्ड, राजभाषा, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग |

9.उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासनः शहरी एवं पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार सम्बन्धी मुद्दे।

10.उत्तराखंड – सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई-गवर्नेस सूचना का अधिकार, समाधान योजना।

11.उत्तराखंड में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव।

12..उत्तराखंड में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे:-

(i) उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच सम्बन्ध।

(ii) बाह्य, राज्य एवं अन्तर राज्यीय सक्रियकों से आन्तरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ पैदा करने में संचारनेटवर्कों, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका।

(iii) साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, कालेधन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम।

(iv) विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियाँ और उनके शासनादेश / अधिकार-पत्र।

(v) सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबन्धन, संगठित अपराधों का आंतकवाद से संबंध।

13.उत्तराखंड में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा।

14.उत्तराखंड में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे।

15.उत्तराखंड में शिक्षा प्रणाली।

16. भारत के विकास में उत्तराखंड की भूमिका।

17. उत्तराखंड की समसामयिक घटनाएं।

18. जल शक्ति मिशन एवं अन्य केन्द्रीय योजनायें एवं उनका क्रियान्वयन।

19.उत्तराखंड में गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव।

20.उत्तराखंड में पर्यटनः मुद्दे एवं सम्भावनायें।

21.उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारः इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार एवं सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव।

प्रश्न पत्र VIII (200 अंक) अवधि : तीन घंटे

सामान्य अध्ययन- VI (उत्तराखंड स्पेशल)

1.उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढाँचा एवं भौतिकसंसाधनों का महत्त्व |

2.उत्तराखंड का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग।

3.उत्तराखंड सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएँ परियोजनाएँ एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास।

4.उत्तराखंड में निवेश: मुददे एवं प्रभाव।

5.उत्तराखंड की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति।

6.उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबन्धन।

7.उत्तराखंड की जनांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना।

8.उत्तराखंड में कृषि का व्यावसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन।

9. उत्तराखंड की नवीन वानिकी नीति।

10.उत्तराखंड की कृषि एवं सामाजिक वानिकी।

11.उत्तराखंड में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएँ एवं उनका समाधान।

12.उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक।

13.उत्तराखंड का भूगोल- भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति।

14.उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य |

15.उत्तराखंड में परिवहन तंत्र।

16.उत्तराखंड में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना।

17.उत्तराखंड में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इनके कार्य।

18.उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन मृदा, जल, वायु, वन, घास- मैदान, आद्रभूमि।

19.उत्तराखंड के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से सम्बन्धित मुद्दे।

20.उत्तराखंड के सन्दर्भ में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र संरचना एवं कार्य, समायोजन, जीव-जन्तु एवं वनस्पतियां।

21.उत्तराखंड में विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे, प्रसार एवं प्रयत्न।

22.उत्तराखंड में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन तथा उत्तराखंड के विकास में इनका प्रभाव।

23.उत्तराखंड के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना।